4/5/18	चाही की पेशी। 10 बजे तीन अधिकारी न्यायालय की प्रतीक्षा। दिनांक 8/5/18 को पेश हो।
8/5/18	अधिवक्ता न्यायालय उपखण्ड अधि. बौंली में पेश हुई। पत्रावली दिनांक 5/6/18 को पेश हो।
3/6/18	अद्य न्याय आयोग के विशिष्ट पीठासीन अधिकारी न्यायालय, बौंली के पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पूर्व में दिनांक 21/11/17 को अस्थायी निषेधाज्ञा विपक्षी और सायलात जाती की गई। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल दावा के निर्णय तक कायम किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम कर बाद तकमील मूल दावा के साथ संलग्न रहे।

उपखण्डाधिकारी
सरमथुरा (धौलपुर) राज.